न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-76/2013

हनुमानप्रसाद गनेडीवाल पुत्र स्व0 सेठ रामेश्वरदास गनेडीवाला जाति महाजन निवासी लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर हाल आबाद-16 नम्बर श्रीराम रोड सिविल लाईन दिल्ली 110054

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- तहसीलदार लक्ष्मणगढ प्रतिनिधि राज्य सरकार ।

2- केदारनाथ पुत्र बजरंगलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं0-29 लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

3- कैलाश
4- पवन
5- दिनेश
6- सज्जन

(3 से 6) पुत्रगण कन्हैयालाल जाति ब्राहम्ण निवासीगण वार्ड नं0 14 लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

7- शारदा देवी पत्नी रिछपालसिंह जाति जाट निवासी सा0 बगडिया का बास तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 5-2-1996 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी फतेहपुर ।

--0--

1- उपस्थिति-

1-श्री सोहनलाल एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री महेशकुमार शर्मा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 25.1.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-2 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 6 के पिता कन्हैयालाल ने अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 330 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा पुख्ता वाके कस्बा लक्ष्मणगढ वादीगण के खाते कब्जे व काश्त की है। इस आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त सम्वत 2010 से पहले से ही चला आ रहा है । जिससे वह इस आराजी के बाई आपरेशन आफ लॉ खातेदार है ।जमाबन्दी के कालम संख्या-5 में जिन लोगो का नाम है वो कौन है तथा कहां के रहने वाले हैं इस बाबत कोई अता पता नहीं है । अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर उक्त आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत में अपीलाधीन वाद में रेकार्डेड खातेदार काश्तकार काबिज को पक्षकार नहीं बनाया गया । अदालत मातहत ने रेकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकारों को तथा उनके वारिसानों को बिना पक्षकार बनाये बिना सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये उनके विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । अदालत मातहत का निर्णय आवश्यक पक्षकारों के अभाव में पोषणीय नही है । वादीगण ने अपने दावे मे उक्त आराजी ख0नं0 330 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी चाही है किन्तु उक्त आराजी की खातेदारी चाही है किन्तु वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने कहीं भी यह दर्ज नही किया कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के कौनसे प्रावधान के तहत खातेदार काश्तकार उद्घोषित होने के अधिकारी है । अदालत मातहत ने वादीगण को केवल एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किया है । जबकि वादीगण ने दावे में न तो अपना पजेशन साबित किया है तथा ना ही यह साबित किया है कि उनका होस्टाईल पजेशन वास्तविक स्वामी के खिलाफ कब और किस प्रकार हुआ यह तथ्य दावे में

प्लीड नहीं किया है । बल्कि विवादित आराजी के वास्तविक स्वामी को तो दावे में पक्षकार तक नहीं बनाया गया । अदालत मातहत ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियमों के विपरित वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने में कानूनी भूल की है । अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पिता तथा अन्य खातेदारों द्वारा रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों कन्हैयालाल एवं बजरंगलाल को कभी-2 वादग्रस्त भूमियों की काश्त हेतु मजदूरी पर बुलाया गया था । जिसके कारण कुछ खसरा गिरदावरियों में उनका नाम दर्ज हो गया । जिसको आधार मान कर उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार दिये जाने मे कानूनी भूल की है । अपीलान्ट विवादित आराजी के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार रामेश्वर पुत्र श्रीनारायण दर्ज है जिसका अपीलान्ट एक मात्र वारिस है । जिसे योग्य अदालत मातहत में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया ।इस प्रकार एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना पक्षकार बनाये आदेश पारित किया है जो स्थिर रहने योग्य नहीं है । अदालत मातहत मे अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया इस कारण अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं रही । अपीलान्ट एक व्यापारी पेशा व्यक्ति है जो अपने व्यवसाय के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहता है । दिनांक 5-5-2013 को अपीलान्ट कस्बा झुन्झुनू में आया तब वह अपनी उक्त आराजी को सम्भालने गये तब रेस्पोडेन्ट सं0-2 अपने साथ चार- पांच अजनबी व्यक्तियों को लेकर आया और विवादित आराजी का सौदा करने लगा तब अपीलान्ट ने ऐतराज किया तब उसने बताया कि इस आराजी बाबत हमने काफी वर्षों पूर्व ही हमारे पक्ष में दावा डिक्री करवा लिया अब इस आराजी को बैचान करने से आप हमे नहीं रोक सकते । इस पर अपीलान्ट ने राजस्व रेकार्ड की नकल हेतु आवेदन दिनांक 7-5-2013 को पेश किया जिसकी नकल दिनांक 20-5-2013 को प्राप्त प्राप्त हुई । तब इस आदेश की जानकारी हुई । इस प्रकार यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 330 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा का रामेश्वर पुत्र श्रीनारायण 1/4 हिस्से का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है । रामेश्वर अपीलान्ट का पिता है । अपीलान्ट अपने पिता के एक मात्र वारिस है । अदालत मातहत में अपीलांट को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया । विवादित आराजी पर अपीलान्ट के पिता का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से कब्जा काश्त रहा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर अपीलान्ट के पिता रामेश्वर पिता श्री नारायण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है । इस आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है । अपीलान्ट के पिता एवं अन्य खातेदार रेस्पोडेन्ट के पिता बजरंगलाल व कन्हैयालाल को यह आराजी कभी कभी काश्त मजदूरी पर करवाने के लिये बता दी गई । जिसके आधार पर कभी कभी खसरा गिरदावरी में रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम दर्ज हो गया जिसके आधार पर अदालत मातहत ने बिना यह देखे की खसरा गिरदावरी से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा खसरा गिरदावरी रेकार्ड आफ राईटस नहीं है जिसके आधार पर एडवर्स पजेशन मानकर किसी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते । इस सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलान्ट ने नजीर आरआरडी 14-8-2011 पेज 508, 39, , एआईआर 2015(राज0) पेज 179, 61, 2016(2)डीएनजे राज0 पेज 473, 80, आरआरडी 1994 पेज-88, 449, आरआरडी 1981 पेज 487, 91 आरआरडी 1983 पेज-416, 95 पेश की । विवादित आराजी में अपीलान्ट का अपने पिता के समय से कब्जा काश्त रहा है । अदालत मातहत ने एक रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना पक्षकार बनाये, उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये उसकी खातेदारी भूमि की खातेदारी समाप्त कर रेस्पोडेन्ट के नाम

घोषित करने में कानूनी भूल की है ।अपीलान्ट को अदालत मातहत में पक्षकार नहीं बनाया गया इस कारण अपीलान्ट को अपीलाधीन की जानकारी नहीं हुई । जानकारी होने पर यह अपील धारा-96 सीपीसी एवं अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

विद्वान वकील अपीलान्ट के की बहस का उत्तर देते हुये विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा है । इस आराजी पर हमारा कब्जा हमारे पूर्वजो के समय से रहा है जो खसरा गिरदावरियों से साबित है । अदालत मातहत का निर्णय 5-2-1996 का है जबकि अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 21-5-2013 में 17 वर्ष बाद पेश की है ।अपीलान्ट को अदालत मातहत के निर्णय की जानकारी शुरू से ही थी । अदालत मातहत ने विवादित आराजी पर हमारा कब्जा खसरा गिरदावरी के आधार पर लगातार मानकर दावा डिक्री किया है ।अपीलान्ट को लगातार 17 साल तक हमारा बिना किसी बाधा के कब्जा रहा है। इससे भी हमारा कब्जा प्रमाणित है जिसके आधार पर भी इस आराजी के खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके हैं । अपीलान्ट का इस आराजी पर लगातार 17 वर्ष तक कब्जा नहीं होने से अपीलान्ट के हक अधिकार समाप्त हो चुके है । अपीलान्ट की अपील सर्वप्रथम मियाद बाहर होने से खारिज की जावे तथा इस आराजी पर अपीलान्ट का लगातार 17 वर्षों तक कब्जा नहीं होने से भी अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं मिलते है ।अतः अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । दौराने बहस अपीलान्ट ने जमाबन्दी सं0- सं02012, 2015 से 2018 2023 से 2026, 2031 से 2034 पेश की । उक्त जमाबन्दी में खसरा नं0 330 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा की खातेदारी श्रीनिवास श्रीगोपाल पिता

जैनारायण हि0 बराबर हि0 1/2 कौम महाजन के नाम दर्ज है। अदालत मातहत के निर्णय के पेज-3 के शुरू में ही विवादित आराजी के खातेदार श्री निवास श्री गोपाल पि0 रामलहाय हि0 1/2, रामेश्वर पुत्र श्री नारायण महावीर पुत्र जैयनारायण हि0 1/2 जाति महाजन जमाबन्दी सं0- 2048 से 2051 में दर्ज होना स्वीकार किया है ।जब अदालत मातहत ने जमाबन्दी में उक्त खातेदारों का नाम दर्ज होना स्वीकार किया है तो अदालत मातहत को चाहिये था कि रेकार्डेड खातेदार काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाकर उन्हे सुनवाई साक्ष्य सबूत का अवसर देकर ही निर्णय किया जाना चाहिये था । किन्तु अदालत मातहत ने इस तथ्य को अपने निर्णय मे दर्ज करने के बाद भी खातेदारो को पक्षकार नही बनाया जाकर केवल खसरा गिरदावरी के आधार पर दावा डिक्री किया है जबकि निर्णय मे खसरा गिरदावरी में भी वादीगण का कब्जा लगातार नहीं है । खसरा गिरदावरी सं0- 2019 के बाद खसरा गिरदावरी सं0- 2028 से 2031 में कब्जा बताया है । इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट का लगातार कब्जा काश्त नहीं रहा है ।खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नजीरो के अनुसार रेकार्ड आफ राईट नहीं है ।अदालत मातहत ने जमाबन्दी सं0-2048 से 2051 में खातेदारो की जानकारी होने के बाद भी पक्षकार नहीं बनाकर आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है ।प्रस्तुत नकल जमा--बन्दियों में अपीलान्ट के पिता रामेश्वर पि0 श्री नारायण का 1/4 हि0 दर्ज है । जिससे अपीलान्ट विवादित आराजी का हितबद्ध पक्षकार है जिसको अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है । इससे अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा -96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अदालत मातहत में पक्षकार नही होने पर अपीलान्ट के अवधि अधिनियम प्रार्थना के तथ्यो पर विश्वास करते हुये प्रस्तुत नजीरो के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील में हुये विलम्ब को माफ कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट के पिता का नाम 1/4 हिस्से पर दर्ज होने से अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह अपने निर्णय के पेज सं0-3 में दर्ज जमाबन्दी के खातेदारों के वारिसों को पक्षकार बनाया जाकर उनको सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय विधिनुसार पुनः पारित करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी फतेहपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5-2-1996 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि वह जमाबन्दी सं0-में दर्ज खातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 15-2-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 25.1.2018 को सुनाया गया ।

25.1.18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर